रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2004/भाद्र 24, 1926
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2004/BHADRA 24, 1926

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004

आ.अ. 181(अ).—यत:, उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 65-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री मुलायम सिंह यादव का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप 25 मई, 2004 को रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1), तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा—

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त 65-मैनपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 25 अक्तूबर, 2004 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	22 सितम्बर, 2004 (बुधवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	23 सितम्बर, 2004 (बृहस्पतिवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	25 सितम्बर, 2004 (शनिवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	13 अक्तूबर, 2004 (बुधवार); और
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	25 अक्तूबर, 2004 (सोमवार);

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[सं. 100/उ.प्र.-लो.स./1/2004]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2004

O. N. 181(E).—Whereas, the seat of Shri Mulayam Singh Yadav, in the House of the People elected from 65-Mainpuri Parliamentary Constituency, in the State of Uttar Pradesh, has become vacant on 25th May, 2004 by the reason of his resignation; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) calls upon the said 65-Mainpuri Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh to elect, before the 25th October, 2004 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) appoints, with respect to the said election :—

(a) the 22nd September, 2004 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 23rd September, 2004 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 25th September, 2004 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th October, 2004 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and

(e) the 25th October, 2004 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

[No. 100/UP-HP/1/2004]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-Cum-Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004

आ.अ. 182(अ).—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 23-अकबरपुर (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, कुमारी मायावती का स्थान उनके राज्य सभा में निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप 5 जुलाई, 2004 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 149, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा—

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त 23-अकबरपुर (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 25 अक्तूबर, 2004 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की अथवा किसी भी अन्य राज्य की अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	22 सितम्बर, 2004 (बुधवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	23 सितम्बर, 2004 (बृहस्पतिवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	25 सितम्बर, 2004 (शनिवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	13 अक्तूबर, 2004 (बुधवार); और
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	25 अक्तूबर, 2004 (सोमवार);

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[सं. 100/उ.प्र.-लो.स./2/2004]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2004

O. N. 182(E).—Whereas, the seat of Kumari Mayawati in the House of the People elected from 23-Akbarpur (SC) Parliamentary Constituency, in the State of Uttar Pradesh, has become vacant on 5th July, 2004 by the reason of her election to the Council of States; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, therefore, in pursuance of Sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) calls upon the said 23-Akbarpur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh to elect, before the 25th October, 2004 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Castes, whether of the State or of any other State, for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) appoints, with respect to the said election :—

(a) the 22nd September, 2004 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 23rd September, 2004 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 25th September, 2004 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th October, 2004 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 25th October, 2004 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

[No. 100/UP-HP/2/2004]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-Cum-principal Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.